GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate Elementary Education

मौलिक शिक्षा निदेशालय

e-mail: eduprimaryhry@gmail.com

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
EDUCATION DEPARTMENT
शिक्षा विभाग, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

कार्यालयः निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला

(ज्ञापन)

आदेश क्रमांक 14/32-2017 HRM-II (4) Dated Panchkula the, 30.04.2018

1 इनके द्वारा **Smt. Anita, TGT Math, GGSSS Dhanana (Bhiwani) now posted at GSSS Haluwas (Bhiwani)** को सूचित किया जाता है कि संलग्न विवरण में दिये गये आधारों पर हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016, के नियम–7 के अन्तर्गत उनके विरूद्व कार्यवाही करना प्रस्तावित किया गया है। ये आरोप उससे अनुबद्व अभिकथनों के विवरण पर आधारित है।

2 इसके द्वारा **Smt. Anita,** से उनके द्वारा इस ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि से 45 दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में बताने की अपेक्षा की जाती है। कि वे सभी आरोपों या उनमें से किसी को स्वीकार करते है या नहीं। उन्होने क्या स्पष्टीकरण या प्रतिवेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना हैं और क्या वे व्यक्तिगत रूप में अपनी सुनवाई चाहते है।

3 इसके द्वारा **Smt. Anita,** को आगे सूचित किया जाता हैं कि वे अपने लिखित कथन को तैयार करने के प्रयोजन के लिये सुसंगत सरकारी अभिलेखों को देखना चाहता है तो उन्हे आयुक्त एंव महानिदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़ के कार्यालय में उनके साथ पहले समय नियत करने के बाद, किसी कार्य दिवस को, उनका निरीक्षण करना चाहिए। फिर भी यह बताया जाता है कि उन्हे केवल ऐसे ही दस्तावेज दिखाये जायेंगे, जोकि आयुक्त एंव महानिदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़ के पास है और जो मामलें के साथा पूरी तरह से सुसंगत है। यदि सरकार की राय में उन्हें किन्ही दस्तावेजों को दिखाने की अनुमति देना लोकहित में वांछनीय नहीं है। तो उन्हे वह दस्तावेज दिखाने के लिए इन्कार कर दिया जायेगा। यदि **Smt. Anita,** ऐसे किसी अन्य सुसंगत अभिलेख को देखना चाहते है जो आयुक्त एंव महानिदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ की अभिरक्षा में नही है तो उनका निरीक्षण करने की जिम्मेदारी उनकी अपनी है। फिर भी **Smt. Anita,** को यह बात स्पष्ट की जाती है कि उनके द्वारा उक्त दस्तावेज की निरीक्षण न किया जा सकना उनके लिखित कथन को भेजने में देरी के लिए वैध आधार नही माना जायेगा और यदि लिखित कथन निम्नहस्ताक्षरकर्ता को निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता तो यह समझा जायेगा। कि उन्हे कुछ भी प्रस्तुत नहीं करना है।

4 लिखित कथन सीधे निम्नहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना चाहिऐं।

5 संलग्न पत्रों सहित इस ज्ञापन की पावती भेजें।

निदेशालय हरियाणा क्रमांक दिनांक

(विरेन्द्र लाठर)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
का0 निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

Regd. **Smt. Anita, TGT Math,**
GSSS Haluwas (Bhiwani)

पृष्ठांकन क्रमांक सम – दिनांक, पंचकूला 16-5-18

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :–

1. District Elementary Education Officer, Bhiwani.
2. Principal/Headmaster, GSSS Haluwas (Bhiwani).
3. IT Cell.

16/5/18
अधीक्षक एच0आर0एम0–II
कृते0 निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा,
पंचकूला।

Off.: Shiksha Sadan, Sector-5, Panchkula Tel: 91(0172)-2560246 Fax:)- 91(0172)2560253
कार्यालयः शिक्षा सदन, सैक्टर–5 पंचकूला (हरियाणा) दूरभाष : 91 (0172) ...

आरोप सूची विरूद्ध – श्रीमति अनीता, गणित अध्यापिका, रा0क0व0मा0वि0 धनाना जिला भिवानी अब कार्यरत रा0व0मा0वि0 हालुवास जिला भिवानी।

....

यह कि श्रीमति अनीता, गणित अध्यापिका, रा0क0व0मा0वि0 धनाना जिला भिवानी ने गणित अध्यापिका के पद पर कार्य करते हुए जो अनियमिताएं की उनके लिए उन्हे निम्न प्रकार से आरोपित किया जाता है :–

1. यह कि आपने शिशु देखभाल अवकाश के प्रतिवेदन में रिकार्ड के साथ छेडछाड करते हुये शिशु देखभाल अवकाश का लाभ प्राप्त किया है।
2. यह कि आपने सरकारी दस्तावेज के साथ छेडछाड करके आपने अपने आपको कडी अनुशासनिक कार्यवाही का पात्र बनाया है।

इस प्रकार उसने हरियाणा कर्मचारी आचरण नियमावली–2016 के नियम 4 (1) (i) (ii) व 4 (2) (i) की अवहेलना की है तथा स्वयंम को हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड एंव अपील) नियमावली 2016 के नियम 4 (b) के तहत सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही का अभियोग चलाये जाने का पात्र बनाया है।

(विरेन्द्र लाठर)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

अभियोग सूची विरूद्व – श्रीमति अनीता, गणित अध्यापिका, रा0क0व0मा0वि0 धनाना जिला भिवानी अब कार्यरत रा0व0मा0वि0 हालुवास जिला भिवानी।

....

यह कि श्रीमति अनीता, गणित अध्यापिका, रा0क0व0मा0वि0 धनाना जिला भिवानी ने गणित अध्यापिका के पद पर कार्य करते हुए निम्न अनियमिताएं की हैं :–

यह कि आपने शिशु देखभाल अवकाश के प्रतिवेदन में रिकार्ड के साथ छेडछाड करते हुये शिशु देखभाल अवकाश का लाभ प्राप्त किया है। यह कि आपने सरकारी दस्तावेज के साथ छेडछाड करके आपने अपने आपको कडी अनुशासनिक कार्यवाही का पात्र बनाया है।

इस प्रकार उसने हरियाणा कर्मचारी आचरण नियमावली–2016 के नियम 4 (1) (i) (ii) व 4 (2) (i) की अवहेलना की है तथा स्वयंम को सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही का पात्र बनाया है तथा आपके विरूद्व हरियाणा सिंविल सेवा (दण्ड एंव अपील) नियमावली 2016 के नियम 4 (b) के तहत अभियोग चलाया जाना पाया गया है।

(विरेन्द्र लाठर)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

रिकार्ड की सूचि— श्रीमति अनीता, गणित अध्यापिका, रा०क०व०मा०वि० धनाना जिला भिवानी अब कार्यरत रा०व०मा०वि० हालुवास जिला भिवानी।

....

1. प्राचार्य/डी०डी०ओ० श्री अमीर सिह, प्राध्यापक इतिहास, रा०क०व०मा०वि० धनाना जिला भिवानी का पत्र क्रमांक 275 दिनांक 01.03.2017 ।
2. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, भिवानी का पत्र क्रमांक 5794 दिनांक 13.02.2018 ।

गवाहों की सूची—

....

1. श्री अमीर सिह, प्राध्यापक इतिहास, रा०क०व०मा०वि० धनाना जिला भिवानी।

(विरेन्द्र लाठर)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

1517/IT Cell
18/05/18

From

Director Elementary Education, Haryana,
Shiksha Sadan, Sector-5, Panchkula.

To

District Elementary Education Officer,
Karnal/Jind.

Memo No. 12/45-2018 HRM-II (3)
Dated, Panchkula, the

Subject:- Adjustment of displaced guest faculty Master/Mistress.

Kindly refer to the subject cited above.

The following guest faculty Master/Mistress is hereby engaged her name under rule work load and demand:-

Sr. No.	Name & Present place of posting of guest faculty	Place where guest faculty engaged.
1.	Smt. Sharda Sharma, Guest SS Mistress, GGSSS Salwan (1950) Distt. Karnal.	GSSS Alewa (1568) Distt. Jind.

Note : - TA/DA will not be admissible.

Sd/-
Superintendent HRM-II
for Director Elementary Education
Haryana, Panchkula

Endst. No. Even **Dated, Panchkula, the** 16/5/18

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. I.T. Cell.

Superintendent HRM-II
for Director Elementary Education,
Haryana, Panchkula

D:\WORK OF HRM-II BRANCH 2017\UMESH\Guest Teacher 2017\Guest Adjustment Order1.Doc *

1818/IT Cell
18/05/18

OFFICE OF THE DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION, HARYANA PANCHKULA

Order No. **6/73-2018 HRM-II(4)** Dated, Panchkula, the 15.05.2018

Smt. Veena Malhotra, Science Mistress, GMS Nagla Farm Distt. Karnal is hereby granted the following leave:-

Sr. No.	Name of Leave	From	Instructions applicable
1.	Child care leave	25.05.2018 to 24.08.2018 (Three Months Only)	C.S. Instruction No. 11/102/2009-3 FR dated 01.02.2016/05.07.2012/05.11.2012

With permission to Affix/Suffix holidays.

1. That the official would have continues to officiate in class-III during her proceeding on leave with permission to Affix/Suffix holidays.
2. That she would draw the usual HRA and other allowances during the period of leave and she is likely to return to the post to which these allowances are attached.
3. That the officer/official would have continued to officiate in Class-III but she proceeds on leave during above period.
4. That alternate arrangement be made before employee's going on CCL so that there would be no adverse effect on the studies of the students.

Virender Lather
Additional Director Admn.
O/o Director Elementary Education
Haryana, Panchkula.

Endst. No. Even: **Dated, Panchkula, the** 15-5-18

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

Regd.

1. District Elementary Education Officer, **Karnal** w.r.t. their Memo No. **E-1/2018/5914 dated 02.05.2018.**
2. Accountant General (A&E) Haryana, Chandigarh.
3. Principal/Headmaster, GMS Nagla Farm Distt. Karnal.
4. Smt. Veena Malhotra, Science Mistress, GMS Nagla Farm Distt. Karnal.
5. I.T. Cell.

15/5/18

Superintendent HRM-II
for Director Elementary Education
Haryana, Panchkula

D:\WORK OF HRM-II BRANCH 2017\CHILD CARE LEAVE\CCL 2018\CHILD CARE LEAVE SANCTION 2018.Docx*